भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

राजस्थान, सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(8)नविवि/2020/पार्ट–2–13890   जयपुर, दिनांकः यथा हस्ताक्षरित

–:आदेश:–

राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर आवश्यकता अनुसार विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों के नगरीय क्षेत्र में विस्तार किया जाता है अथवा नवीन विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकायों का गठन किया जाकर क्षेत्राधिकार का निर्धारण किया जाता है। इसके फलस्वरूप इनके क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नगर पालिका क्षेत्रों व नवीन राजस्व ग्रामों के अन्तर्गत आने वाली भूमियों के प्रकरणों के निस्तारण की सक्षमता के संबंध में भ्रांति रहती है। अतः नव गठित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में स्थित क्षेत्रों की सक्षमता हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है :–

क्र. सं.		सक्षमता
1	नव गठित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित नगर पालिका/राजस्व ग्रामों में कृषि भूमि रूपान्तरण की सक्षमता किसमें निहित है ?	भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए में उल्लेखित परिभाषा अनुसार समस्त क्षेत्र नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत परिभाषित है। यदि अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिका का मास्टर प्लान प्रभावी नहीं है तो नगर पालिका सीमा में स्थित आबादी भूमि व नगर पालिका के स्वामित्व की भूमि का छोडकर शेष समस्त क्षेत्र/राजस्व ग्रामों में नवगठित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा 90ए एवं अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिका क्षेत्र के मास्टर प्लान प्रभावी होने की स्थिति में मास्टर प्लान के नगरीकरण योग्य क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका एवं नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित समस्त क्षेत्र/राजस्व ग्रामों में नव गठित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा 90ए एवं अग्रिम कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। किन्तु अधिसूचित क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिका के मास्टर [illegible] के नगरीय क्षेत्र के बाहर स्थित [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.08.12 [illegible]0:04:01 IST
Reason: Approved

		1.ऐसे प्रकरण जिनमें अधिसूचना जारी होने से पूर्व जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जाकर आंशिक अथवा पूर्ण राशि जमा करवाई जा चुकी है, उनमें अग्रिम कार्यवाही जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के स्तर से राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अंतर्गत ही कार्यवाही की जावें। 2.ऐसे प्रकरण जिनमें अधिसूचना जारी होने से पूर्व जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार के यहां आवेदन प्रस्तुत किया जा चुका है किन्तु आंशिक अथवा पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है, उन प्रकरणों को संबंधित विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित कर अग्रिम कार्यवाही विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा की जानी है।
2	नव गठित प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय के मास्टर प्लान बनाये जाने हेतु अधिसूचना जारी नहीं होने की स्थिति में प्रकरणों का निस्तारण किस प्रकरण किया जाना है।	राज्य सरकार के आदेश दिनांक 06.10. 2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां–2024 के सामान्य प्रावधान के बिन्दु संख्या 20 (क) के अनुसार नगर नियोजन विभाग के सक्षम अधिकारी से परीक्षण उपरान्त प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
3	विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के नगरीय क्षेत्र में विस्तार किये जाने पर इसमें सम्मिलित नगर पालिका क्षेत्रों/नवीन राजस्व ग्रामों नगर पालिका/राजस्व ग्रामों में कृषि भूमि रूपान्तरण एवं अन्य कार्यों की सक्षमता किसमें निहित है ?	विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिका क्षेत्र में मास्टर प्लान प्रभावी होने की स्थिति में मास्टर प्लान के नगरीकरण योग्य क्षेत्र में नगर पालिका के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है। नगरीकरण योग्य क्षेत्र के बाहर स्थित नवीन राजस्व ग्रामों में विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के सक्षम अधिकारी द्वारा [illegible] राज्य सरकार के आदेश दिनांक 14.10.

Signature valid
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.06.12 10:04:01 IST
Reason: Approved

भीम
BhIM
भारत इंटीग्रेशन मिशन

आज़ादी का अमृत महोत्सव

		2024 द्वारा जारी विकास प्रोत्साहन एवं नियंत्रण उपविधियां–2024 के सामान्य प्रावधान के बिन्दु संख्या 20 (ख) के अनुसार नगर नियोजन विभाग के सक्षम अधिकारी से परीक्षण उपरान्त स्थानीय निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जानी है।
4	जिन प्रकरणों में स्थानीय निकाय द्वारा परिधि नियंत्रण पट्टी में सम्मिलित ग्रामों में कृषि भूमि के रूपान्तरण/आवंटन/नियमन संबंधी प्रकरणो में प्रीमियम राशि जमा करवाते हुये 90–ए की कार्यवाही की जा चुकी है। ले–आउट प्लान अनुमोदित हो चुके है/ अनुमोदित किये जाने की प्रक्रिया में है ऐसे प्रकरणों अग्रिम कार्यवाही किसके द्वारा की जानी है ?	ऐसे प्रकरणों में शेष कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा ही की जानी है।
5	नगरीय क्षेत्र में स्थित परिधि नियंत्रण क्षेत्र के ऐसे प्रकरण जो संबंधित स्थानीय निकाय में आवेदित है परन्तु इन पर संबंधित निकाय द्वारा आपत्ति प्रकाशन व इससे आगे की कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसे प्रकरणों अग्रिम कार्यवाही किसके द्वारा की जानी है ?	ऐसे प्रकरणों को संबंधित विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास को हस्तान्तरित कर अग्रिम कार्यवाही विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास द्वारा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जावें।

(वैभव गालरिया)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
9. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
10. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका मण्डल, राजस्थान।

Signature valid
Digitally signed by Vaibhav Galriya
Designation : Principal Secretary To Government
Date: 2025.06.12 10:04:01 IST
Reason: Approved

प्रमुख शासन सचिव